न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2015-00078RAAJodhpur2015-37RTA223 Balwantaram ors Vs Lumbaram etc

01. बलवन्ताराम पुत्र हरचंद
02. धूड़ाराम पुत्र कानाराम
03. फगलूराम पुत्र बगताराम

सभी जाति़यान् बिश्नोई, निवासीगण खारा तहसील फलोदी जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. लुम्बाराम पुत्र कस्तूराराम फौत के कायम मुकामः—
   1.1. किशनाराम पुत्र स्व श्री लुम्बाराम
   1.2. धनी पत्नी स्व श्री लुम्बाराम
2. श्रीमती बरजू पत्नी किसनाराम
3. भारमल पुत्र मंगलाराम
4. मुल्तानाराम पुत्र गेबूराम फौत के कायम मुकामः—
   4.1. श्रीमती सुगनी पत्नी स्व० श्री मुल्तानराम
   4.2. ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   4.3. माधाराम पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   4.4. श्यामलाल पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   4.5. भगवानाराम पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   4.6. सुनिल पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   4.7. मनीष पुत्र स्व० श्री मुल्तानराम
   सभी जातियान बिश्नोई, निवासीगण खारा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
   4.8. रोशनी पत्नी श्री रमेश गोदारा पुत्री स्व. मुल्तानाराम जाति बिश्नोई, निवासी खारा, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
   4.9. भारमती पत्नी श्री गुलाबाराम पुत्री स्व० श्री मुल्तानराम जाति विश्नोई निवासी ढढू तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
   4.10. पालू पत्नी श्री राजूराम सारण पुत्री स्व० श्री मुल्तानराम जाति बिश्नोई निवासी भोजासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
   4.11. धापू पत्नी श्री श्यामलाल पुत्री स्व० श्री मुल्तानराम जाति बिश्नोई, निवासी मण्डा की ढ़ाणी, जाम्बा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
5. बिरमी पुत्री श्री मानाराम जोजे रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी हाल हेमराज नगर, फतेह सागर पीलवा, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 मार्च 1989 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 33/1988 लुम्बाराम व अन्य बनाम बिरमली इत्यादि

उपस्थित–
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से चार
श्री आर.एन. बेनीवाल, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 03 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/1988 अनवान लुम्बाराम व अन्य बनाम बिरमली इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 मार्च 1989 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 जून 2015 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम खारा के खसरा नं. 620 रकबा 62.18 बीघा, खसरा नं. 685 रकबा 01.18 बीघा, खसरा नं. 619 रकबा 19 बीघा कुल रकबा 65.16 बीघा के संबंध में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजीयात के खरीददार एवं काबिज काश्तकार है। अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खातेदार श्रीमती मंगली पत्नी स्व. माना से दिनांक 26.12.1977 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा तब से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रत्यर्थीगण द्वारा खातेदार मंग़ली से अपीलार्थीगण द्वारा विक्रय की गई भूमि का पुनः बेचाननामा लिखवाकर उक्त बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनाक 08.03. 1989 को प्राप्त की गई है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघात करने वाली होने से अपीलार्थीगण इससे व्यथित पक्षकार है तथा अपीलार्थीगण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करने के न्यायहित में अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.03.1989 अपीलार्थीगण की गैर हाजिरी में पारित की गई होने से उसकी जानकारी अपीलार्थीगण को कतई नहीं थी तथा अपीलाधीन वाद में अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया और न सुनवाई का नोटिस ही दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 ने मिलकर धोखे से अपीलार्थीगण के हिस्से की खातेदारी भूमि को हड़प करने के लिये तथा अपना हिस्सा अधिक दर्ज करवाने के लिए बाले–बाले एक पक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपने पक्ष में प्राप्त की है। प्रत्यर्थी संख्या 05 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी एल०आर० संख्या 6797/2011/जोधपुर में दिनाक 06.04.2015 को अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री की नकल प्रस्तुत की, जिसे पढने पर अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलार्थीगण ने दिनाक 08.04.2015 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल के लिये जिला अभिलेखागार जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय में आवेदन किया, जिस पर नकल तैयार होकर दिनाक 25.05.2015 को प्राप्त हुयी। तब इसकी पूर्ण जानकारी हुयी। अपीलांट्स द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

गुणावगुण पर अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के 1/3 हिस्से के खरीददार खातेदार है तथा अपीलार्थीगण ने जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र के भूमि खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है। अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 16.12.1977 की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नामांतरकरण संख्या 495 खोला गया जो ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया। इसी दरम्यान राजस्व रेकर्ड की आड़ में खातेदार मंगली द्वारा वादग्रस्त आराजी पुनः वादीगण को बेच दी। तब अपीलांट्स द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपने पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार फलोदी को निर्देशित किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स के उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा तहसीलदार फलोदी को पत्र क्रमांकः राजस्व/रीडर/86/954 दिनांक 12.05.1988 प्रेषित कर अपीलांट्स के पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये तथा नामांतरकरण की कार्यवाही कर उपखण्ड अधिकारी फलोदी को सूचित किये जाने के भी निर्देश दिये गये। तहसीलदार फलोदी द्वारा उक्त निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेंट्स/वादीगण के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 583 स्वीकृत कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 583 में यह स्पष्ट अंकित है कि वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर बलवंताराम पुत्र हरचंदराम वगैरह का कब्जा काश्त है, जिससे स्पष्ट है वक्त खरीद से ही अपीलांट्स का वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर कब्जा अनवरत चला आ रहा है। इसलिए अपीलांट अपीलाधीन विभाजन के दावे में आवश्यक पक्षकार थे। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना प्राप्त की गयी विभाजन की डिक्री शून्य है एवं स्वतः ही निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन दावा विभाजन का दावा था, जिसमें राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर मौके से बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाया जाना आवश्यक हैं। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है जो न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को श्रीमती मंगली द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपना हिस्सा पूर्व में ही अपीलार्थीगण को बेचान करने की संपूर्ण जानकारी थी तथा मौके पर अपीलार्थीगण काबिज होने का भी ज्ञान होते हुए मंगली से दुबारा बेचाननामा लिखवाया। यह उल्लेखनीय है कि बेचाननामा पर वादीगण के पिता/पुत्रल की साख उपलब्ध है। प्रत्यर्थी संख्या 5 भी अधीनस्थ न्यायालय में बावजुद तामील के जानबुझ कर गैर हाजिर रहकर वादीगण को 1/3 हिस्से की जगह 2/3 हिस्से का विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिलाकर स्वय ने 1/3 हिस्से का विभाजन प्राप्त किया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मिली भगत कर कूट–रचना से प्राप्त की गयी होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन दावे की कार्यवाही में अपीलार्थीगण खरीददारान को पक्षकार बनाकर सुनवांई किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के खिलाफ होने में निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रत्यर्थी संख्या 6 तहसीलदार फलोदी ने बिना मौके की जांच किये तथा बिना बंटवाड़ा प्रस्ताव भेजे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में खातेदारी अलग–अलग कर नामान्तकरण संख्या 620 स्वीकृत कर दिया जो अपीलांट्स के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला होने से शुरूआत से ही शून्य एवं स्वतः ही निरस्त किये जाने के योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर गुणावगुण पर पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जावे एवं एक पक्षीय अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 08.03.1989 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाये एवं वादीगण का 2/3 हिस्से का वाद खारिज किया जावे तथा वादीगण का 1/3 हिस्सा, अपीलांट्स का 1/3 हिस्सा एवं प्रत्यर्थी बीरमली का 1/3 हिस्सा घोषित किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री सादिर फरमायी जाये तथा मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर तदनुसार विभाजन की अंतिम डिकी पारित करने हेतु मामला विद्वान सहायक कलक्टर फलोदी का प्रतिप्रेषित किये जान का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादीगण वादग्रस्त आराजी के 2/3 हिस्से के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट्स/वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सभी खातेदारों का पक्षकार संयोजित करते हुए वाद प्रस्तुत किया तथा विभाजन की विधिसम्मत डिक्री प्राप्त की है। रेस्पोडेंट्स के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय विलेख आज–दिनांक तक प्रभावी एवं वैध है। ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण खारिज कर दिये जाने पर अपीलांट्स द्वारा उक्त नामांतरकरण की कोई अपील आज दिनांक तक नहीं की गई है। रेस्पोडेंट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट्स को शुरूआत से ही रही है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट्स के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण की अपील की थी, जो खारिज हो चुकी है, जिससे यह साबित है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील 26 साल के विलंब से पेश की है, जिसका कोई सद्भाविक एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 2002 पेज 26, आर.आर.डी. 2000 पेज 591, 2014(3) डी.एन.जे. (राज)पेज 1132 2012 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 395 की न्यायिक नजीरे पेश की।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गहन परिशीलन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.12.1977 के मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 620 रकबा 62. 18 बीघा में सें 21.15 बीघा भूमि प्रतिफल राशि 3333/– अक्षरे तीन हजार तीन सौं तैतीस खातेदार मंगली बेवा मानाराम से खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स के उक्त कब्जे की पुष्टि रेस्पोडेंट्स के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 583 में अंकित नोट से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से व्यथित पक्षकार पाये जाने से वे हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी ठहरते है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिनां अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं होना लाजमी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

लिहाजा अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का सद्भाविक कारण पाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विलंब का सद्भाविक एवं युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाये जाने पर मामले म्याद के बिंदु पर खारिज किये जाने के सिद्धांत प्रतिपादित किये है। हस्तगत मामले में अपीलांट्स द्वारा विलंब का सद्भाविक कारण बतलाये जाने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत मामले में लागू नहीं होते है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता हैं कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 620 रकबा 62.18 बीघा, खसरा नं. 685 रकबा 01.18 बीघा, खसरा नं. 619 रकबा 19 बीघा ग्राम खारा पूर्व में माना पुत्र हणुता की खातेदारी की भूमि रही है। माना की फौतेदगी उपरांत विरासतन नामांतरकरण संख्या 457 के जरिये वादग्रस्त आराजीयात बीरमली, बाधुड़ी पुत्रियॉ माना एवं मंगली बेवा माना के नाम दर्ज की गई। सहखातेदार मंगली बेवा मानाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 620 रकबा 62.18 बीघा में सें अपने हक–हिस्से की रकबा 21.15 बीघा भूमि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.12.1977 के जरिये अपीलांट्स को बेचान किया जाना पाया जाता है। उक्त बेचाननामा पर प्रतिवादी संख्या एक के पुत्र किशनाराम एवं प्रतिवादी संख्या चार के पिता गेबूराम की साख उपलब्ध है, जिससे साबित है कि वादीगण/रेस्पोडेंट्स को उक्त बेचाननामा की जानकारी शुरूआत से ही रही है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.12.1977 की पालना में अपीलांट्स के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 495 खोला गया जो सरपंच, ग्राम पंचायत खारा द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि केवल एक खातेदार द्वारा ही भूमि का बेचान किया। मंगली बेवा माना द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण अपीलांट्स को किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड की आड़ में सहखातेदार बाधुड़ी के साथ अपने नाम दर्ज भूमि को पुनः रेस्पोडेंट्स/वादीगण को बेचान कर दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स को इस तथ्य की जानकारी होने पर उनकी ओर से उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा अपने पत्र क्रमांकः राजस्व/रीडर/86/954 दिनांक 12.05.1986 के जरिये तहसीलदार फलोदी को निर्देश दिये गये कि वह पटवारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हल्का खारा को पाबंद करावे कि वह ग्राम खारा के खसरा नं. 620 रकबा 62.18 बीघा में सें 1/3 हिस्सा का नामांतरकरण श्री बलवंताराम, फगलूराम, धूड़ाराम विश्नोई के नाम अविलंब खोल कर पास करवावे एवं हिदायत करे कि उपरोक्त व्यक्तियान् के नाम नामांतरकरण भरने से पूर्व श्री लुम्बाराम व बरजु पत्नि किशनाराम के नाम पहले नामांतरकरण नहीं भरे, यदि दुबारा बेचान से खरीददारान् के नाम नामांतरकरण भरा तो यह जुम्मेवारी हल्का पटवारी की होगी।

पटवारी हल्का द्वारा उक्त निर्देशों की पालना किये बिना रेस्पोडंट्स के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 583 स्वीकृत किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखीनय है कि पटवारी हल्का खारा द्वारा उक्त नामांतरकरण पर नोट अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से पर बलवंताराम वगैरह का कब्जा काश्त है।

कानूनन एक खातेदार द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण कर दिये जाने के पश्चात हस्तांतरकरण दस्तावेज की पालना में राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि न होने का फायदा उठाकर उसी व्यक्ति द्वारा भूमि पुनः अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स के पक्ष में निष्पादित प्रथम पंजीबद्ध विक्रय विलेख आज–दिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 620 मूल रकबा 62.18 बीघा में अपनी खरीदसुदा भूमि रकबा 21.15 बीघा के संबंध में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी ठहरते है। रेस्पोडेंट्स द्वितीय बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी में अपीलांट्स के हक–हिस्से तक किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों उतराधिकारी नहीं ठहरते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ–साथ विभाजन का भी अनुतोष चाहा था, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये बिना सीधे ही अंतिम डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्याय हित में उचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 33/1988 अनवान लुम्बाराम व अन्य बनाम बिरमली इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 मार्च 1989 निरस्त किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को मामले में पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद एवं जवाब के आधार मामले में तनकीयात कायम कर उस पर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर